सेवा कर

I. निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है :

(1) किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम के वाणिज्यक प्रयोग या उपयोग को अनुज्ञात करने की सेवा।

(2) विद्यमान कराधेय सेवा 'बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) में प्रतिलिप्यधिकार को इसकी परिधि से बाहर रखा गया है (क) चलचित्रण फिल्मों और (ख) ध्वनि अभिलेखन के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार सेवा कर की परिधि के अधीन लाए जा रहे हैं। तथापि, मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक रचना के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार सेवा कर की परिधि के बाहर रहना जारी रहेगा।

(3) निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाओं पर सेवा करः

(क) कारबार अस्तित्वों के कर्मचारियों के लिए अस्पताल या चिकित्सा स्थापनों द्वारा आरंभ की गई स्वास्थ्य जांच, और

(ख) बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्थापित स्वास्थ्य बीमा स्कीमों के अधीन प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाएं।

(इन स्वास्थ्य सेवाओं पर कर केवल तब संदेय होगा जब ऐसी स्वास्थ्य जांच या निवारक देखभाल या उपचार आदि के लिए संदाय कारबार अस्तित्व या बीमा कंपनी द्वारा अस्पताल या चिकित्सीय स्थापन को किया जाता है।)

(4) किसी कारबार अस्तित्व के कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेख के रखरखाव के लिए प्रदान की गई सेवा।

(5) विद्युत एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई सेवा।

(6) भावी क्रेताओं को भवन निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई कतिपय अतिरिक्त सेवाएं जैसे अतिरिक्त प्रभारों पर परिसरों के अधिमानी अवस्थिति या बाह्य या आन्तरिक विकास उपलब्ध कराना। तथापि, यान पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने की सेवा ऐसे कर से प्रभारित नहीं होगी।

(7) माल के 'ब्रान्ड', सेवाओं, कार्यक्रमों, कारबार अस्तित्वों आदि को संवर्धित करने की सेवा।

(8) खेल संयोग संर्वधन, विपणन या उनका आयोजन जिनके अन्तर्गत लाटरी भी है, एक पृथक् सेवा के रूप में आरंभ की जा रही है। परिणामस्वरूप, कारबार सहायक सेवा से संबंधित उपबंध में स्पष्टीकरण को हटाया जा रहा है।

उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

II. कतिपय विद्यमान सेवा की परिधि का निम्नवत रूप में विस्तार किया जा रहा है या उसे परिवर्तित किया जा रहा हैः

(1) वायु यात्री परिवहन सेवा की परिधि का किसी भी वर्ग की घरेलू यात्राओं और अन्तरराष्ट्रीय यात्राओं को सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

(2) इस समय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा के मामले में, कर का उद्ग्रहण केवल उन मामलों तक सीमित है जहां कारबार या वाणिज्य को अग्रसर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कराधेय सेवा की परिधि का इसके उपयोग को ध्यान में न रखते हुए सभी मामलों को सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

(3) 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग' सेवा की दशा में, यह स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है कि इस सेवा के संदर्भ में 'वाणिज्यिक' पद से ऐसा कोई प्रशिक्षण या कोचिंग अभिप्रेत होगा जिसे प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वह लाभ के लिए हो या नहीं। इस परिवर्तन को 01-07-2003 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

(4) 'प्रवर्तकता सेवा' की परिभाषा में, खेलों से संबंधित प्रवर्तकता से संबंधित अपवर्जन को हटाया जा रहा है।

(5) 'परिसर सेवा के संनिर्माण' में यह उपबंध किया जा रहा है कि जब तक संपत्ति के लिए संपूर्ण प्रतिफल संनिर्माण के पूरा हो जाने के पश्चात् (अर्थात सक्षम प्राधिकारी से समापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात) संदाय नहीं कर दिया जाता है तब तक पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप भावी क्रेता को भवन निर्माता/संप्रवर्तक/विकासकर्ता द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवा नहीं समझी जाती है और तदनुसार सेवा कर प्रभारित किया जाएगा।

(6) 'स्थावर संपत्ति को किराए पर देना' की परिभाषा में निम्नलिखित के लिए संशोधन किए जा रहे हैं:

(i) सुस्पष्टतः यह उपबंध करना कि 'किराया' का क्रियाकलाप एक कराधेय सेवा ही है। इस परिवर्तन के 01-06-2007 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है; और

(ii) जहां पट्टा अवधि के दौरान कारबार या वाणिज्य को अग्रसर करने के लिए ऐसी भूमि पर भवन या संरचनाओं के संनिर्माण को आरंभ करने के लिए पट्टाधारक और पट्टाकर्ता के बीच कोई करार या संविदा है वहां खाली भूमि के किराए पर सेवा कर उद्ग्रहीत करना।

(7) 'विमानपत्तन सेवाएं', 'पत्तन सेवाएं' तथा 'अन्य पत्तन सेवाओं' की परिभाषाओं में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि—

(क) विमानपत्तन/पत्तन परिसरों के भीतर सम्पूर्ण रूप से प्रदान की गई सेवाएं इन सेवाओं के अधीन वर्गीकृत की जाएंगी; और

(ख) विमानपत्तन/पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त ऐसा कोई प्राधिकार इन सेवाओं पर कर लगाने के लिए पूर्व शर्त नहीं होगा।

(8) 'नीलामीकर्ता' की सेवा में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है कि 'सरकार द्वारा नीलामी' वाक्यांश से ऐसी नीलामी अभिप्रेत है जिसमें सरकारी संपत्ति का विक्रय अन्तर्वलित है और न कि जब निजी संपत्ति के विक्रय के लिए किसी नीलामीकर्ता के रूप में सरकार कार्य करे।

(9) 'यूलिप सेवा के अधीन निवेश प्रबंध' की परिभाषा में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि पालिसी के क्रियान्वयन के किसी वर्ष के लिए कराधेय सेवा का मूल्य यूलिप के अधीन निधियों के प्रबंध के लिए बीमाकर्ता द्वारा भारित वास्तविक रकम होगी या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियत किए गए निधि प्रबंध प्रभारों की अधिकतम रकम, जो भी अधिक है, होगी,

उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

III. अधिनियम में संशोधनः

वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 का, निम्नलिखित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है,—

(क) धारा 73 की उपधारा (3) में यह स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन किया जा रहा है कि जहां इस उपधारा के अधीन विभाग द्वारा सूचना जारी किए जाने से पूर्व ब्याज सहित सेवा कर का संदाय किया गया है वहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(ख) 'कारबार अस्तित्व' पद की परिभाषा का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे व्यक्तियों के किसी संगम, व्यष्टियों के निकाय, कंपनी या फर्म, न कि किसी व्यष्टि को सम्मिलित किया जा सके।

ऊपर (क) में उल्लिखित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमन की तारीख से और ऊपर (ख) में उल्लिखित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

IV. छूटः

(1) विदेशी सरकारों द्वारा प्रभारित कानूनी करों को वायु परिवहन यात्री सेवा के अधीन सेवा कर के उदग्रहण के लिए कराधेय मूल्य से अपवर्जित किया जा रहा है।

(2) सेवा कर से छूट निम्नलिखित के निर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन से संबंधित सेवाओं को प्रदान की जा रही है—

(क) यांत्रिकृत खाद्यान्न हथालन प्रणालियां, आदि;

(ख) शीतागार भंडारण की स्थापना करने या पर्याप्त विस्तार के लिए उपस्कर;

(ग) कृषि, मधुवटिका, उद्यानकृषि, दुग्ध उत्पादन, कुक्कट पालन, जलीय, समुद्रीय या मांस उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए यूनिटों की आरंभिक स्थापना या पर्याप्त विस्तार के लिए मशीनरी/उपस्कर।

(3) पूर्व-संवेष्टित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर को, जिसमें इसके उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति भी है, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(4) इस समय माल परिवहन अभिकरण द्वारा सड़क से फलों, सब्जियों, अंड़ों या दूध के परिवहन के लिए सेवा कर से छूट उपलब्ध है। छूट की परिधि का छूट प्राप्त माल की सूची में खाद्यान्नों और दालों को सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

(5) सेवा कर से छूट विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए 'आन लाइन सूचना और डाटा बेस पुनःप्रापण सेवा' के अधीन भारतीय समाचार अभिकरणों को प्रदान की जा रही है।

(6) केन्द्रीय और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय तथा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई 'राष्ट्रीय परीक्षण और विश्लेषण सेवा' और 'तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन सेवा' को सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(7) विद्युत पारेषण को सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

V. छूटों को वापस लेना या उनमे संशोधन करना :

(1) 'रेल द्वारा माल के परिवहन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवा' पर सेवा कर से छूट वापस ली जा रही है। यह उदग्रहण 1-4-2010 से प्रभावी होगा।

(2) इस समय राजस्थान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को साधारण बीमा सेवा के अधीन उपलब्ध कराई गई समूह निजी दुर्घटना बीमा स्कीम को उपलब्ध सेवा कर से छूट वापस ली जा रही है।

(3) 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा' पर सेवा कर से छूट को शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित ट्रेडों में व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तक सीमित किया जा रहा है।

उपरोक्त परिवर्तन, क्रम सं. 1 पर परिवर्तन के सिवाय, तुरन्त प्रभावी होंगे।

VI. नियमों और अधिसूचनाओं में संशोधन :

(1) सेवा निर्यात नियम 2005 और कराधान सेवाएं (भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत के भीतर प्राप्त की गई) सेवा कराधान नियम, 2006 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कुछ विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं को एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में लाया जा सके।

(2) सेवा निर्यात नियम, 2005 में, विहित शर्त अर्थात् 'ऐसी सेवा जो भारत से उपलब्ध कराई जाती है और भारत से बाहर उपयोग की जाती है' को हटाया जा रहा है।

(3) अधिसूचना सं.1/2002-एस टी तारीख 01-02-2002 को यह उपबंध करने के लिए एक अन्य अधिसूचना द्वारा अधिक्रान्त किया जा रहा है कि अनन्य आर्थिक जोन और भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट में खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए और इन क्रियाकलापों से संबंधित किसी माल के प्रदाय के लिए संस्थापनों, संरचनाओं और यानों के संनिर्माण और परिचालन वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंधों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। निर्यात सेवा नियम, 2005 और सेवा कराधान (भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त की गई सेवा) नियम, 2006 में उपयुक्त परिवर्तन किए जा रहे हैं।

(4) अधिसूचना सं. 5/2006 सीई (एनटी) का संशोधन किया जा रहा है और निर्यातकों के संचयित प्रत्यय के प्रतिदाय में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आंशिक भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है,

उपरोक्त परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।